



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244597
CG-DL-E-22032023-244597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1326]

No. 1326]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

का.आ. 1379(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 के (चौड़ाई/चार-लेन, आदि) रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH69 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	स्पेशल लैंड एक्विज़िशन आफिसर नेशनल हाइवे के आर् सर्कल बेंगलोर ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH69 के कि.मी. 0 से 15.58 तक	कर्नाटक	चिक्कबल्लपुरा	चिंतामणि	1	मुनगनहल्ली
						2	डोड्डिहल्ली
						3	मल्लिकार्जुनपुरा
						4	थिनाकल्लू
						5	बोम्मेकल्लू
						6	केम्पाडेनहल्ली
						7	डोड्डाकोंड्राहल्ली
						8	गुट्टाहल्ली
						9	उलावकायलहल्ली
						10	अमितिगनहल्ली
						11	वड्डाहल्ली
						12	मायलापुरा
						13	नारायणहल्ली
						14	नागदेनहल्ली
						15	मदिकेरी
						16	चतलापल्लीगड्डा
						17	कल्लहल्ली
						18	कटामचनहल्ली
						19	चिन्नासंद्रा
						20	कुरुतिहल्ली
						21	डोड्डागंजुरु

[फा. सं. RW/NH-69/Km0.00toKm15.58/22-23]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

S.O. 1379(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for (widening / four - laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No 69 in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH69 in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Special land Acquisition Officer National Highways K R Circle Bangalore (	0KM To 15.58KM	KARNATAKA	CHIKKABALLAPURA	Chintamani	1	Munganahalli
						2	Doddihalli
						3	Mallikarjunapura
						4	Thinakallu
						5	Bommekallu
						6	Kempadenahalli
						7	Doddakondrahalli
						8	Guttahalli
						9	Ulavakayalahalli
						10	Amitiganahalli
						11	Vaddahalli
						12	Mylapura
						13	Narayanahalli
						14	Nagadenahalli
						15	Madikere
						16	Chatlapalligadda
						17	Kallahalli
						18	Katamachnahalli
						19	Chinnasandra
						20	Kurutihalli
						21	Doddaganjuru

[F. No. RW/NH-69/Km0.00toKm15.58/22-23]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.